रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 957] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/वैशाख 1, 1938
No. 957] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/ VAISAKHA 1, 1938

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा वाहनों की खरीद के लिए उत्पाद-शुल्क छूट प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन

का.आ. 1468(अ).—दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उत्पाद-शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए दिनांक 19 जून, 1998 के पत्र सं.12(18)/98-एईआई के माध्यम से भारी उद्योग विभाग द्वारा जारी और समय-समय पर यथा-संशोधित दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए, यह भी निर्णय लिया गया है कि खरीद पश्चात् वाहनों में पुनःसंयोजन के मामले में, मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) की तरफ से विनिर्माता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता समाप्त कर दी जाए। इसकी जगह, अब भारी उद्योग विभाग से उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए स्कीम में उल्लिखित बाकी दस्तावेजों/कागज़ातों के साथ-साथ इस विभाग में आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में, अनुबंध के अनुसार, जिला सड़क परिवहन अधिकारी से प्रमाण-पत्र लेना ही पर्याप्त होगा।

इसे माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

[फा. सं. 12(42)/2015-एईआई]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध

राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण के सड़क परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

जांच के बाद, यह सत्यापित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ________________ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ______________________________ आयु________वर्ष, निवासी ______________________________ कार (कार मॉडल का नाम) ______________ चलाने में सक्षम हैं, जिसमें उनकी शारीरिक (ऑर्थोपेडिक) अशक्तता के अनुसार पुनःसंयोजन किया गया है।

जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व मुहर
तथा पता व टेलिफोन

स्थानः

दिनांकः

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2016

AMENDMENT TO THE GUIDELINES FOR ISSUE OF EXCISE DUTY CONCESSION CERTIFICATE FOR PURCHASE OF VEHICLES BY PERSONS WITH DISABILITY

S.O. 1468(E).—In partial modification of the guidelines for availing excise duty concession by physically handicapped persons issued by Department of Heavy Industry vide letter no. 12(18)/98-AEI dated 19th June 1998 & as amended from time to time, it has further been decided that the requirement of manufacturer certificate from OEMs in case of retrofitment of vehicles, after purchase, shall be dispensed with. Instead the certificate from District Road Transport Officer, as per annexure, would be sufficient for applying to this Department in the prescribed Performa alongwith remaining documents/papers as mentioned in the scheme for obtaining excise duty concession certificate from the Department of Heavy Industry.

This has the approval of Hon'ble Minister for Heavy Industries & Public Enterprises.

[F. No. 12(42)/2015-AEI]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

ANNEXURE

CERTIFICATE TO BE ISSUED BY ROAD TRANSPORT OFFICER OF STATE ROAD TRANSPORT AUTHORITY

After verification, it is certified that Shri/Smt./Ms.____________________Son/ Daughter/Wife of Shri ____________________ aged __________ years residing at __________________is capable of driving Car (Name of the Model)______________, which has been retrofitted according to his Physical (Orthopaedic) Disability.

Name and Seal of the Issuing Authority
with Address and Telephone Number

Place:

Date:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.